-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा की बैट्री चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बैट्री आदि सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद ।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त राज एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिस पर हत्या,चोरी आदि समेत आधा दर्जन से अधिक मामले है दर्ज ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा की बैट्री चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मवई वुजुर्ग के रहने वाले सुनील पुत्र लल्लू ने थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 12.06.2026 को सूचना दी थी कि दिनांक 08/09.06.2026 की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के बाहर खडे ई-रिक्शा कि बैट्री चोरी कर लिया । सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे । इसी क्रम में कल दिनांक 30.06.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर मवई वाईपास ग्राम करवारा से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है । तथा मौके से 02 चोरी की बैट्री एवं चोरी की बैट्री की बिक्री से प्राप्त 1320 रुपये नकद , चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल साथ ही अभियुक्त राज पुत्र राजेश की तलाशी के दौरान 01 अवैध तमंचा व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुये है । जांच के क्रम मे पाया गया कि अभियुक्त राज पुत्र राजेश एक शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जो पूर्व में भी हत्या, चोरी व अवैध शस्त्रों के मामले मे जेल जा चुका है ।

बरामदगी-

- 02 ई-रिक्शा की बैट्री (चोरी की)
- 1320 रुपये (चोरी की बैट्री की बिक्री से प्राप्त)
- 01 मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त)
- 01 अवैध तमंचा
- 01 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राज पुत्र राजेश उर्फ राजू निवासी ग्राम परसौली थाना बबेरु जनपद बांदा । हाल पता – क्योटरा चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. बुद्धविलास पुत्र श्रीचन्द्र निवाली गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 300/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 331/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राज उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 357/22 धारा 380/457/413 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बाँदा
2. मु0अ0सं0 367/2022 धारा 302/380/394 /411/457 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बाँदा
3. मु0अ0सं0 381/2022 धारा 380/457 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बाँदा
4. मु0अ0सं0 382/222 धारा 380/457/413 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बाँदा
5. मु0अ0सं0 383/2022 धारा 41/413 भा0द0वि0 थाना बबेरू जनपद बाँदा
6. मु0अ0सं0 384/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बाँदा
7. मु0अ0सं0 48/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बाँदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री दीपक कुमार सैनी चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय
2. हे0कां0 राघवेन्द्र सिंह
3. कां0 पवन कुमार नायक
4. कां0 जितेन्द्र सिंह
5. कां0 रिषभ सोनी